क्रमांक 6766-1 जी0 एस0 1-75/1762

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवामें

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायायय तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 30 जनवरी, 1976.

विषय : तदर्थ आधार पर की गई सेवा को प्रोवेशन पीरियड पूरा करने के लिए गिने जाने के बारे में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊ और कहू कि हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5700-2 जी0 एस0-1-73/27522, दिनांक 16 नवम्बर, 1973 द्वारा जारी की गई हिदायतों में यह तो स्पष्ट किया हुआ है कि तदर्थ आधार पर की गई सेवा को पदोन्नति के लिए तजुव के तौर पर नहीं गिना जाना है परन्तु कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी सेवा को प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के लिए गिना जाना है या नहीं । यह प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था तथा इस बारे में यह निर्णय लिया गया है कि तदर्थ आधार पर की गई सेवा का लाभ प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के लिए भी नहीं दिया जाना है ।

2. कृपया प्रोबेशन पीरियड के मामलों पर विचार करते समय इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।

2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशासकीय क्रमांक 6766-जी0एस0 1-75, दिनांक चण्डीगढ़, 30 जनवरी, 1976